

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 365/26-169 (2016-17)

Dated 26/07/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ~~1.8725~~ **1.8725** hact. of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar for Construction of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor Road in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Manjuli Villages in Devprayag tehsils.**

It is further certified that:

- a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire ~~1.8725~~ **1.8725** Hact. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~30~~ **30.4**
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involle recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

()
 (सोनिका)
 Distt. Collector
 टिहरी गढ़वाल

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (JTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri **(सोनिका)** I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **4.8725 Hectare** for the construction of **Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri


(सोनिका)
जिला अधिकारी
District Collector Tehri Garhwal chairman

District Tehri Garhwal
New Tehri


जिला अधिकारी
देव प्रयाग
विशेष अधिकारी
11-4-2017

It is further certified that – Minutes of meeting of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor Road (4.00 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8725 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पर्यावरण अधिकारी
सदर टिहरी गढ़वाल
थाती डागर
चन्द्रपाल सिंह चौहान

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वन अधिकारी
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग
मुनि-को-रेती
मुनिकीरेती

Signature

(सोनिका)
Distt. Collector
टिहरी गढ़वाल

जिला पर्यावरण अधिकारी
सदर टिहरी गढ़वाल
11-4-17

प्रपत्र-~~2002~~ 302

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग

(1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि 0.1050 हे० सिविल स्रोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 03/05/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती नूपुर वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्रीमती नूपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री जे.पी. कुलोवर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री रणजीत सिंह कवलि	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्रीमती भीना देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य
5-	श्री कर्ण सिंह कवलि	वी.डी.टी. चेन्न	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.8725 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई नामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— कीर्तिनगर

जनपद— दिल्ली (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, दिल्ली (गढ़वाल) को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— कीर्तिनगर

जनपद.....

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनांक 03/05/2017 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद-

1.	श्री मती नुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2.	श्री जी.पी. व लो	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3.	श्री राजजीत कर्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4.	श्री मती मीना देवी	वी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	

(5) श्री कर्ण सिंह कर्वाल वी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

श्री मती मीना देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
बारी डगर

श्री कर्ण सिंह
सदस्य-क्षेत्र पंचायत
बेंजवाड़ी
वि०ख०- 4
कृष्णासिंह

3-5-2017

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैँजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - थाती ड़ागर, ग्राम पोथ
तहसील कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैँजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थाती ड़ागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान




सहायक अभियन्ता 10/3/2017
अस्थाई ल०स लो०नि०वि०
वी०नगर-मु० कीर्तिनगर टि० २०



परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बैजवाड़ी ड़ागर

तहसील कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैजवाड़ी ड़ागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैजवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।




सहायक अभियन्ता 10/3/2017
अस्थाई खण्ड लो०नि० वि०
धीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० व०

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/3/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत वैजवाडी डामर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बुद्धि सिंह पवार	बुद्धि सिंह
2	रघुवीर सिंह भठंडारी	रघुवीर सिंह
3	रामदास	रामदास
4	प्रेमलाल	प्रेमलाल
5	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
6	करी सिंह	करी सिंह
7	पूर्ण सिंह	पूर्ण सिंह
8	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
9	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
10	रविकम सिंह	रविकम सिंह
		करी सिंह
		सदस्य-सूत्र पंचायत
		वैजवाडी डामर
		पिनकोड- कौर्तनगर विभाग
		करी सिंह वैजवाडी